राजस्थान–सरकार

न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 30/2017 फोरलेन

उनवान

1. केसरीमल पिता चांदमल सोनी (सुनार) उम्र वयस्क निवासी कानिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण–111 आदर्श नगर, गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 अजमेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

परिवाद अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्र. एन.एच./ गुलाबपुरा–उनियारा प्रकरण संख्या 153/2014 दिनांक 05.11.2014

उपस्थित :– श्री गोपाल अजमेरा – प्रार्थी की ओर से ।
श्री दिनेशचंद्र बापना – विपक्षी सं. 2 की ओर से।
विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक :–27.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम रूद्रपुरा पटवार क्षेत्र गागेड़ा तहसील हुरड़ा मे स्थित आराजी सं. 357/177 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जो राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटि से आराजी संख्या 177/2 के रूप में दर्ज होने से प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, गुलाबपुरा के यहा वादपत्र प्रस्तुत कर उक्त गलत रूप से दर्शित आराजी संख्या 177/2 के स्थान पर आराजी संख्या 357/177 अंकित किये जाने का निवेदन किया जो दिनांक 14.03.2015 को प्रार्थी के पक्ष में डिक्री किया जाकर उक्तानुसार सही रूप से अंकित किये जाने के आदेश दिये गये है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के अधीन एक अधिसूचना सं. का.आ. 2334(अ) जारी की जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। इस राजपत्र में भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148–डी के 46.700 से 51.300 एवं 54.750 से 69.267 कि.मी. के निर्माण के लिये विभिन्न खसरा की भूमि अवाप्त करने की सूचना प्रकाशित की गई। इस सूचना में खसरा सं. 177/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 0.1876 हैक्टेयर भूमि अवाप्त करने की सूचना अधिसूचना में थी, तत्पश्चात अधिनियम की धारा 3(डी–1) के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2013 एवं 18.02.2014 को अधिसूचना जारी की गई।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24.04.2014 को स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया एवं अधिनियम की धारा 3 जी (1 व 2) के तहत आपत्ती आमंत्रित करने के व्यक्तिगत नोटिस जारी किये गये लेकिन उक्त आराजी संख्या 177/2 जो त्रुटि से नक्शा ट्रेस में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 357/177 होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात से ही उक्त राजमार्ग निकला है। मात्र नक्शा ट्रेस में सहवन से गलत नम्बर अंकन हो जाने से अवार्ड संख्या प्रकरण सं. 153/2014 के नोटिस तहसीलदार, हुरड़ा को तामील करवा दिये जबकि मौके पर प्रार्थी की आराजियात अवाप्त हुई है। प्रार्थी को बिना सुने एवं मौके की स्थिति को देखे बिना प्रकरण का निर्णय दिनांक 05.11.2014 को कर अवार्ड जारी कर अवाप्त की गई भूमि खसरा नं. 357/177 (177/2) रकबा 0.1876 का प्रतिकर राशि 27,850/– रूपये 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 2785/– रूपये कुल राशि 30635/– रूपये निर्धारित किया जाकर प्रार्थी के बजाय तहसीलदार, हुरड़ा को भुगतान किया गया जो पूरी तरह से विधि विरुद्ध एवं नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।

सक्षम अधिकारी ने दिनांक 14.01.2013 को जो अवाप्त भूमि की डी0एल0सी0 दरें थी, उसके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र में होने के पश्चात् इस अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय अखबारों में जिस तिथि को उसका प्रकाशन होगा, उसी तिथी को लागू डी0एल0सी0 दरों के आधार पर मुआवजा निर्धारित करने की व्यवस्था दिनांक 14.01.2013 को उक्त अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय अखबारों मे नहीं हुआ था इसलिये दिनांक 14.01.2013 को जारी डीएलसी दरों से जो मुआवजा निर्धारित किया गया है, वह विधिविरूद्ध है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी गुलाबपुरा नगर पालिका के पैराफेरी एरिया में आती है एवं प्रार्थीगण की आराजी से कुछ दूर स्थित आराजी को हाल ही वर्ष 2012 में रीको के मार्फत हिन्दुस्तान जिंक लि0 रामपुरा आगूचा तहसील हुरडा के लिए रेल्वे साईडिंग कार्य हेतु भूमि अवाप्त की गई जिसमें जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा की अध्यक्षता में डीएलसी बाजार दरों तथा काश्तकारों के हितों के मध्यनजर कमेटी द्वारा मुआवजे की राशि 4,00,000/– रूपये प्रति बीघा निर्धारित की जिसके अनुसार ही भूमि अवाप्त की जाकर काश्तकारों को मुआवजा राशि दिलायी तथा उक्त रेल्वे हेतु अवाप्तशुदा आराजी से प्रार्थी की आराजी अच्छी किस्म एवं अच्छी लोकेशन पर स्थित है इस कारण प्रार्थी को आराजी की मुआवजा राशि कम से कम 5,00,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से दिलायी जानी चाहिए थी जो नही दिलाकर मात्र डीएलसी दर के आधार पर दी गई है। कानूनन डीएलसी दर को मार्केट रेट नहीं माना जा सकता है इस प्रकार निर्धारित की गई दर विधि विरूद्ध एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं होने से अवार्ड राशि 5,00,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से दिलाया जाना न्यायोचित है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है और मार्केट दर निर्धारित करने के लिये उस क्षेत्र के तीन साल में हुये भूमि के विक्रयपत्र में जिस दर से भूमि का विक्रय हुआ है, वह दर बाजार दर होगी और उसी बाजार दर से भूमि का मुआवजा देय होगा। यदि तीन साल से विक्रय पत्र मौजूद नहीं हो तो अवाप्ति की सूचना स्थानीय अखबार में प्रकाशन की तिथी को लागू डीएलसी दर से मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था है। नियमों के तहत भूमि का बाजार मूल्य इटेन्टेड लेण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास एरिया या विनसिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

यह हैं कि माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर ने परिवाद सं. 88/2011/आर्बिट्रेशन/ब्यावर मुकन्ददास राठी बनाम सक्षम अधिकारी के प्रकरण में भूमि का बाजार मुल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारित करने के आदेश दिये है। माननीय संभागीय आयुक्त ने जमाबन्दी में अंकित भूमि की किस्म के आधार पर मुआवजा तय नहीं कर बाजार दर के हिसाब से मुआवजा तय किये जाने के निर्देश दिये है। माननीय संभागीय आयुक्त ने भूमि का बाजार मूल्य तय करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उदाहरण देकर बाजार दर अवाप्त भूमि के आस पास गतिविधियों अर्थात आस–पास की भूमि किस परपज के लिये काम में आ रही है, उसके अनुसार बाजार मूल्य तय किये जाने की व्यवस्था दी है। माननीय सम्भागीय आयुक्त अजमेर ने 2010 (1) आर आर टी पृष्ठ सं. 426 एस.सी में प्रकाशित निर्णय का उल्लेख करते हुये यह भी व्यवस्था दी है कि नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि से अवार्ड जारी करने व अवार्ड जारी करने से लेकर वास्तविक भुगतान किये जाने तक ब्याज की राशि अदा करने की भी व्यवस्था की है। सक्षम अधिकारी ने इस व्यवस्थाओं पर ध्यान किये बिना ही अवार्ड जारी कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से संशोधित किये जाने योग्य है।

नागरिक उड्यन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर ने किशनगढ (अजमेर) मे प्रस्तावित एयरपोर्ट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा देने तथा भूमि के मालिकों का पुर्नवास करने के लिये संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त श्रीमती किरण सोनी गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक दिनांक 04.06.2013 को हुई, जिसमे निम्न निर्णय लिया गया :–

"उक्त ग्राम की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 08 से 400 मीटर की दूरी से प्रारम्भ होती है, इस क्षेत्र के पास औद्योगिक, व्यावसायिक संस्थान व आवासीय कॉलोनियां मदनगंज किशनगढ़ से लगती हुई है। भूमि विकसित होने से भूमि की बाजार कीमते मौके पर अधिक है, परन्तु उक्त ग्राम की भूमियों की खरीद फरोख्त नहीं होने के कारण भूमि की डीएलसी दरों मे वृद्धि नही हुई है, कमेटी की सहमति अनुसार उक्त ग्राम की भूमि की दरें निर्धारित करने हेतु उद्घोषणा की दिनांक प्रचलित डीएलसी दरों में 6 गुणा वृद्धि करते हुए भूमि का मुआवजा वितरण करने हेतु दरें निर्धारित की गई है।"

उक्त भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 मे संशोधन करते हुए डीएलसी दर का 4 गुणा राशि मुआवजे के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा भूमि की अवाप्ति अनिर्वाय होने के कारण अतिरिक्त राशि (सोलेशियम मनी) 30 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था है भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 मे अतिरिक्त 30 प्रतिशत रेल्वे एक्ट, 2008 में अतिरिक्त राशि 60 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था है। इन अधिनियमों में राष्ट्रीय पुर्नवास तथा स्थापना समिति 2007 के तहत सहायता राशि भी दिये जाने की व्यवस्था है। परिवादी की भूमि गुलाबपुरा नगर पालिका के पेराफेरी ऐरिया में स्थित है एवं अभी हाल ही मे वर्ष 2012 में रेल्वे लाईन आगूचा हेतु अवाप्त की गई भूमि के पास स्थित है एवं उससे अच्छी किस्म की भूमि है। उक्त भूमि के अवाप्त होने के बाद बहुत कम भूमि प्रार्थी के पास बचती है जिसके कारण शेष बची भूमि पर प्रार्थी उचित रूप से कृषि कार्य हेतु उपयोग नही कर पायेगा एवं प्रार्थी जिसका जीवन पूर्णतया कृषि पर आधारित है, उसका स्वयं का एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करने में काफी कठिनाई आयेगी। इस प्रकार प्रार्थी को होने वाले नुकसान की भरपाई हाईवे अथोरिटी को करनी चाहिये क्योंकि सरकार ने अवाप्ति के प्रकरणों मे राष्ट्रीय पुर्नवास तथा स्थापना निति 2007 के प्रावधान लागू किये है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

सक्षम अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ में से किसी पर भी विचार किये बिना मुआवजा तय किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि के वास्तविक मालिक व कब्जे की स्थिति को रेकार्ड पर लिये बिना ही प्रार्थी को नोटिस दिये बिना ही प्रार्थी के खातेदारी भूमि में से अवाप्त भूमि की अवार्ड राशि तहसीलदार हुरडा को दे दी जबकि उक्त भूमि का मालिक प्रार्थी की है। इन तथ्यों की जानकारी होने पर प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष प्रार्थी के अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, इस पर विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को एक पत्र दिनांक 07.10.2015 को प्रेषित करते हुए आराजी संख्या 177/2 के बजाय प्रार्थी की आराजी संख्या 357/177 तरमीम होने से उक्त आराजी में से अवाप्त रकबा 0.1876 की मुआवजा राशि 30,635/– रूपये प्रार्थी को अदा करने हेतु लिखा लेकिन विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को आज दिन तक कोई अवार्ड राशि नहीं दी गई है इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है एवं जो अवार्ड राशि निर्धारित की गई है व पूर्णरूप से विधि विरूद्ध एवं प्रावधानों के तहत नहीं होने से अवार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अवार्ड राशि दिलाई जाने का आदेश प्रदान किया जाकर अवार्ड दिनांक 05.11.2014 को संशोधित कर निम्न अवाप्त भूमि जो अभी हाल ही में रेल्वे लाईन आगूचा हेतु अवाप्त की गई भूमि के पास स्थित है तथा क्षेत्र की विद्यमान बाजार दर 5,00,000/– रूपये प्रति बिधा से मुआवजा तय किया जावें तथा निर्धारित मुआवजे पर अतिरिक्त राशि (सोलेशियम मनी) 30 प्रतिशत एवं निर्धारित राशि पर प्रथम अधिसूचना प्रकाशन से वास्तविक मुआवजा दिये जाने की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज की राशि भी दिलायी जावें।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध करते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बापना ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब में विपक्षी संख्या 02 द्वारा अंकन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 डी भीम–गुलाबपुरा (हुरड़ा सेक्शन) फोरलेन के किमी 46.700 से कि.मी. 51.300 एवं 54.750 से 69.267 कि.मी. तक फोरलेन चौड़ाकरण/बनाने के लिये अतिरिक्त भूमि की अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 एवं 09.07.2013 को प्रकाशित की गई। तत्पश्चात् विहित अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2013 व 18.02.2014 को अधिसूचना प्रकाशित होकर दिनांक 24.04. 2014 को दो स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। सूचना प्रकाशित होने के उपरांत विहित अधिनियम की धारा 3 डी (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भा.रा.रा.प्रा. केन्द्र सरकार में निहित हो गई है जिसके अनुसार ग्राम रूद्रपुरा तहसील हुरडा में स्थित आ.न. 177/2 रकबा 0.1876 हे0 भूमि किस्म उसर जो राजस्व अभिलेख में तहसील हुरड़ा के नाम अभिलिखित थी, को अवाप्त किया जाकर सक्षम प्राधिकारी जी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 153/2014 दिनांक 05.11.2014 को अवार्ड जारी फरमाया है। प्रार्थी उक्त अवाप्त शुदा भूमि को अपने खातेदारी की होना कहता है तो तत्समय अधिनियम की धारा 3 ए (1) में प्रकाशित अधिसूचना के 21 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये थी। राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरस्ती बाबत् प्रस्तुत प्रकरण की जवाबदाता को कोई जानकारी नहीं है न ही सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 की कोई प्रति ही उपलब्ध करायी गई है। अधिनियम की धारा 3 जी (1) (2) इस प्रकार वर्णित की गई है–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

3G- Determination of amount payable as compensation.

(1) Where any land is acquired under this Act] There shall be paid an amount which shall be determined by an order of the competent authority.

(2) Where the right of user or any right in the nature of an easement on, any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount to the owner and any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such acquisition an amount calcuated at ten percent] of the amount determined under sub&section (1), for that land.

नियमानुसार आम सूचना (पब्लिक नोटिस) स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई थी। अवाप्ताधीन भूमि के लिये हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त किसी प्रकार का क्लेम प्रस्तुत नहीं होने से अधिनियम की धारा 3 जी (1) (2) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) द्वारा विधी अनुसार अवार्ड सं. 153/2014 दिनांक 05.11.2014 को जारी किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (1) (2) में व्यक्तिगत तामील कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में संदेय रकम का अवधारण करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्तियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अध्यधीन उनका दावा आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दिनांक 01.05.2014 को जारी की गई जिसका प्रकाशन दो स्थानीय सामाचार पत्रों में दिनांक 02.05.2014 को किया गया। अवाप्ताधीन भूमि के लिये हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त किसी प्रकार का क्लेम प्रस्तुत नहीं होने पर अधिनियम की धारा 3 जी (1) (2) (7) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अवार्ड जारी फरमाया गया है। दिनांक 09.07.2013 को अधिसूचना प्रकाशित की गई अतः दिनांक 06.03.2013 एवं 09.07.2013 को जो डी. एल.सी. दरे प्रचलित थी उसी अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। मुआवजा निर्धारण हेतु सामाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि का आधार कानूनन नहीं है अपितु भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि ही मुआवजा निर्धारण हेतु आधार है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) () के तहत उक्त तिथि को प्रभावी डी.एल.सी दर के आधार पर ही मुआवजा निर्धारण किया गया है. धारा 3जी (7) () निम्न प्रकार वर्णित की गई है:– 3G 7 The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, shall take into consideration

(a) the market value of land on the date of publication of the notification under section 3A

यहां यह उल्लेख करना भी अति महत्वपूर्ण है कि डीएलसी दर मार्केट रेट को ध्यान में रखकर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तय की जाती है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 में डीएलसी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:– "District Level committee (DLC) Means the committee constituted by the state goverment for a district from time to time for the purpose of determining the market value of the land"

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

ऐसी स्थिति में यह प्रकरण कम या अधिक मुआवजा देने के संबंध में नहीं होकर प्रार्थी की भूमि को फोरलेन निर्माण में काम में ले लिये जाने के बावजूद विपक्षी सं. 2 द्वारा उसके मुआवजे का भुगतान प्रार्थी को नहीं किये जाने के संबंध में है जिसका वाद हेतुक प्रकट होता है एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करने का पूरा अधिकार इस न्यायालय को है। अतएव–

आदेश

अतः परिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्र.एन.एच./गुलाबपुरा–उनियारा प्रकरण संख्या 153/2014 दिनांक 05.11.2014 स्वीकार किया जाकर मामला सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थी की ग्राम रूद्रपुरा पटवारी हल्का गागेडा तहसील हुरड़ा में स्थित आराजी नं. 357/177 रकबा 0.1876 हैक्टेयर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148–डी के फोरलेन निर्माण में काम में ली गयी है उसका एन0एच0आई0एक्ट0 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि के भुगतान संबंधी नियमानुसार कार्यवाही संपादित करें। इस बाबत् विपक्षी सं. 2 परियोजना निदेशक भा0रा0रा0प्रा0 – 111, आदर्श नगर, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कर प्रतिकर राशि का नियमानुसार भुगतान ब्याज व सोलेशियम राशि सहित प्रार्थी को करने की कार्यवाही करें। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा को लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा